मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर

(574 साउथ सिविल लाईन्स)

//आदेश//

क्रमांक फा.नं. 96–22 /स्था0/राविसेप्रा/2755/2022 जबलपुर दिनांक 12/10/2022

सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी–3–12/2013/1/03, दिनांक 29 सितम्बर 2014 के अनुसार एवं अधोलिखित शर्तो के अधीन श्री रविन्द्र सिंह गुर्जर, पुत्र स्व. श्री ओमप्रकाश गुर्जर, सहायक ग्रेड–2, निवासी– ग्राम रूअरिया थाना सिहौनिया तहसील अम्बाह जिला मुरैना म.प्र. को **भृत्य** के पद पर वेतनमान 15500–49000 में नियमानुसार समय–समय पर देय भत्तों सहित तीन वर्ष की परीवीक्षा पर अस्थायी एवं स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उनके द्वारा कार्यभार गृहण करने की दिनांक से अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाकर **जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दतिया** में पदस्थ किया जाता है।

परिवीक्षा अवधि में सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी–3–13/2019/3/एक, दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अधीन भृत्य वेतनमान 15500–49000 के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगा।

उन्हें **पदभार ग्रहण करने की अन्तिम तिथि दिनांक 28.10.2022 दी जा रही है**। वे उक्त तिथि के पूर्व तक पदभार ग्रहण करेंगे।

शर्तेः–

1– वे भारत के संविधान एवं संप्रभुता में निष्ठा रखेंगे।

2– म.प्र.सिविल सेवा(आचरण) नियम 1965 के अंतर्गत नियमों का पालन करेगें ।

3– मध्यप्रदेश शासकीय सेवक(अस्थायी तथा अर्द्ध स्थायी सेवा) नियम,1960 के नियम 12 (ए) के अनुसार किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले एक माह का वेतन तथा भत्ता देकर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

4– एक माह का नोटिस दिए बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किए बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर वेतन तथा भत्ते की राशि भू–राजस्व की बकाया की भांति उनसे वसूल की जावेगी।

5– उन्हे मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ–9/3/2003/नियम/चार भोपाल दिनांक 13/4/2005 के अनुसार दिनांक 1/1/2005 के पश्चात् नियुक्त होने वाले कर्मचारियों पर परिभाषित पेंशन अंशदान योजना, 2005 लागू होगी।

6– यह कि उन्हें कार्यभार ग्रहण के करने के 15 दिवस के अन्दर स्वयं के व्यय पर जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्वस्थ्यता परीक्षण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थ्यता का प्रमाण पत्र प्रतिकूल होने की दशा में नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा ।

7– यह कि आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों के तथ्यों को छिपाये जाने, कूटरचित या फर्जी पाये जाने या अन्य किसी कारण से गलत पाये जाने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी ।

8– यह कि उनकी सेवायें राज्य प्राधिकरण के द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय बिना कारण बताये समाप्त की जा सकेंगी और वे यदि सेवा से पृथक होना चाहेंगे तो उन्हें एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अथवा सूचना के अभाव में एक माह के वेतन भत्तों के बराबर राशि नगद जमा करनी होगी।

9– यह कि नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के उपरान्त **दिनांक 28.10.2022** तक आवश्यक रूप से पदस्थापना कार्यालय में उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण करना होगा। नियत समय सीमा के अंदर कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वयमेव निरस्त मानी जावेगी।

10– यह कि अभ्यर्थी द्वारा ज्वाईनिंग करने के उपरान्त अभिस्वीकृति पत्र उपस्थिति प्रतिवेदन एवं जिला मेडिकल बोर्ड, द्वारा जारी स्वस्थता प्रमाण पत्र की प्रति राज्य प्राधिकरण को उचित माध्यम से प्रेषित करेंगे।

11– नियुक्त कर्मचारी पर मध्यप्रदेश शासन एवं म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के नियम एवं समय–समय पर प्रसारित निर्देश/आदेश लागू होगें।

12– इनकी सेवायें राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सामान्य नियन्त्रण में रहेगी।

माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार

12/10/22

(राजीव कर्महे)
सदस्य सचिव

पृष्ठा0क0 फा0नं0 96–22/स्था0/राविसेप्रा0/3755/2022 जबलपुर, दिनांक 12/10/2022
प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (द्वितीय) मध्यप्रदेश, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
3. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण **दतिया** म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. जिला कोषालय अधिकारी जिला कोषालय जबलपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर की ओर।
6. श्री रविन्द्र सिंह गुर्जर, पुत्र स्व. श्री ओमप्रकाश गुर्जर, निवासी– ग्राम रूअरिया थाना सिहौनिया तहसील अम्बाह जिला मुरैना म.प्र. की ओर पालनार्थ।
7. वेतन लिपिक, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. आई, टी अनुभाग म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर की ओर वेबसाइट में अपलोड किये जाने की कार्यवाही हेतु।
9. व्यक्तिगत पत्रावली।

12.10.22

(राजीव कर्महे)
सदस्य सचिव

O/C